भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 183

02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टाइप-। मधुमेह

183. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्रीमती गीता कोडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में टाइप-। मधुमेह के कितने रोगी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जनगणना कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में टाइप-। मधुमेह से जन्मजात रूप से प्रभावित बच्चों के लिए कोई कल्याणकारी उपाय/कदम उठाए हैं/उठाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में इंसुलिन थेरेपी जैसे महंगे उपचारों पर होने वाले व्यय के विरुद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, टाइप-1 मधुमेह वाले बच्चों के लिए सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी आवृत्ति इतनी अधिक नहीं है कि टाइप-1 मधुमेह के लिए सभी बच्चों की जांच की जा सके। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक रजिस्ट्री बनाई जाती है जिसे यंग डायबिटीज रजिस्ट्री (वाईडीआर) कहा जाता है। वाईडीआर रजिस्ट्री युवावस्था में आरंभ मधुमेह के रोगियों का डाटा एकत्र करती है, जिनका निदान 25 वर्ष या उससे कम उम्र में किया गया है। वाईडीआर रजिस्ट्री डेटा के अनुसार, 20351 बालावस्था मधुमेह रोगियों में से 13368 (65.6%) टाइप -1 मधुमेह वाले थे।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मधुमेह सहित राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों (एनपी-एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय

सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उचित स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के लिए रेफरल के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन को मजबूत करने पर अभिकेंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, 753 जिला एनसीडी क्लिनिक और 6237 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में सामान्य एनसीडी यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र) के तहत सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है।

इसके अलावा, एनसीडी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की पहल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस का आयोजन और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ आहार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इसके अलावा, (एनपी-एनसीडी) कैंसर के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) संबंधी क्रियाकलापों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन क्रियाकलापों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार आयोजित किया जाता है।

एनपी- एनसीडी के तहत, मधुमेह के लिए ग्लूकोमीटर और औषधियां राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार प्रदान की जाती है। इंसुलिन और इंसुलिन यथा कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम की नि:शुल्क औषधि सेवा पहल के तहत, गरीब और जरूरतमंद लोगों को इंसुलिन सहित अनिवार्य दवाइयों का नि:शुल्क प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को इंसुलिन सहित अन्य गुणवत्तापरक जेनेरिक दवाइंया सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

*****